

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27072026-274825
SG-DL-E-27072026-274825असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 16, 2026/आषाढ 25, 1948	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 122
No. 196]	DELHI, THURSDAY, JULY 16, 2026/ASHADHA 25, 1948	[N. C. T. D. No. 122

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 जुलाई, 2026

फा. सं. जी-19 भर्ती नियम/2/2025-सीसीयू-आईटीडी/ई-240452/5913.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना फा0 सं0 24/78/68 डीएच (एस) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिनांक 04.01.2007 की अधिसूचना फा0 सं0 12(1)/2006/आईटीसी/125-31 के द्वारा अधिसूचित आईटी सहायक ग्रेड 'डी' के पद हेतु भर्ती नियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या विलोप की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में आईटी सहायक ग्रेड-'डी' के पद की नियुक्ति हेतु भर्ती पद्धति एवं आवश्यक योग्यता को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ:—(i) इन नियम को आईटी सहायक ग्रेड 'डी', सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भर्ती नियमावली, 2026 कहा जाए।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- अनुप्रयोग:—ये नियम इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम सं0 1 में विनिर्दिष्ट पदों के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर:—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं इत्यादि:**—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम सं० 5 से 11 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **अयोग्यता:**—ऐसा कोई भी व्यक्ति,

(क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है; वह उक्त किसी पद पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिए आधार हैं, तो वह किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस विनियमन के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

6. **शिथिल करने की शक्ति:**—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए, आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियम के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

7. **बचाव:**—इन नियम में भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 7वें सीपीसी के वेतनमान स्तर 6 (रुपये 35400-112400) में आईटी सहायक ग्रेड 'डी' के पद हेतु भर्ती नियम

1.	पदनाम	:	आईटी सहायक ग्रेड-‘डी’																																								
2.	पदों की संख्या	:	35* (2026) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर <table><tr><th>विभाग का नाम</th><th>स्वीकृत संख्याबल</th></tr><tr><td>व्यापार एवं कर विभाग</td><td>7</td></tr><tr><td>प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग</td><td>5</td></tr><tr><td>राजस्व विभाग</td><td>3</td></tr><tr><td>परिवहन विभाग</td><td>3</td></tr><tr><td>केंद्रीय कारागार</td><td>2</td></tr><tr><td>अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय</td><td>2</td></tr><tr><td>स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग</td><td>2</td></tr><tr><td>रोजगार निदेशालय</td><td>1</td></tr><tr><td>वित्त बजट (सा0प्रशा0वि0)</td><td>1</td></tr><tr><td>शिक्षा विभाग एवं संबद्ध कार्यालय</td><td>1</td></tr><tr><td>खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले</td><td>1</td></tr><tr><td>मुख्य निर्वाचन कार्यालय, चुनाव</td><td>1</td></tr><tr><td>प्रधान लेखा कार्यालय</td><td>1</td></tr><tr><td>लोक निर्माण विभाग</td><td>1</td></tr><tr><td>श्रम विभाग</td><td>1</td></tr><tr><td>दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड</td><td>1</td></tr><tr><td>दिल्ली पुलिस</td><td>1</td></tr><tr><td>विद्युत विभाग तथा संबद्ध कार्यालय</td><td>1</td></tr><tr><td>कुल</td><td>35</td></tr></table>	विभाग का नाम	स्वीकृत संख्याबल	व्यापार एवं कर विभाग	7	प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	5	राजस्व विभाग	3	परिवहन विभाग	3	केंद्रीय कारागार	2	अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	2	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2	रोजगार निदेशालय	1	वित्त बजट (सा0प्रशा0वि0)	1	शिक्षा विभाग एवं संबद्ध कार्यालय	1	खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1	मुख्य निर्वाचन कार्यालय, चुनाव	1	प्रधान लेखा कार्यालय	1	लोक निर्माण विभाग	1	श्रम विभाग	1	दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	1	दिल्ली पुलिस	1	विद्युत विभाग तथा संबद्ध कार्यालय	1	कुल	35
विभाग का नाम	स्वीकृत संख्याबल																																										
व्यापार एवं कर विभाग	7																																										
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग	5																																										
राजस्व विभाग	3																																										
परिवहन विभाग	3																																										
केंद्रीय कारागार	2																																										
अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय	2																																										
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	2																																										
रोजगार निदेशालय	1																																										
वित्त बजट (सा0प्रशा0वि0)	1																																										
शिक्षा विभाग एवं संबद्ध कार्यालय	1																																										
खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले	1																																										
मुख्य निर्वाचन कार्यालय, चुनाव	1																																										
प्रधान लेखा कार्यालय	1																																										
लोक निर्माण विभाग	1																																										
श्रम विभाग	1																																										
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड	1																																										
दिल्ली पुलिस	1																																										
विद्युत विभाग तथा संबद्ध कार्यालय	1																																										
कुल	35																																										
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-‘ख’, अराजपत्रित, अलिपिकीय																																								

4.	पे बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-6 (रुपये 35400-112400/-)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	100 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाना है	:	पदोन्नति : ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर-5 (रुपये 29200-92300/-) में आईटी सहायक ग्रेड 'बी' में से। टीप: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?	:	“समूह ‘ख’ विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी)/विभागीय स्थायीकरण समिति (डीसीसी) 1. प्रधान सचिव /सचिव (टीटीई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग के प्रशासनिक सचिव (आईटी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – सदस्य टीप: यदि विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय स्थायीकरण समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।”
13.	वे परिस्थितियां जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	“संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।”

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के

आदेश तथा उनके नाम पर

आनन्द कुमार तिवारी, विशेष सचिव (आई0टी0)

INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th July, 2026

F. No. G-19RR/2/2025-CCU-ITD/E-240452/5913.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution read with Govt. of India, Ministry of Home affairs Notification No. F.24/78/68 DH(S) dated 24th September, 1968 and in supersession of the Recruitment Rules for the post of IT Assistant Grade 'D' notified vide No. F. 12 (1)/2006/ITC/125-31 dated 04.01.2007, except respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment and qualification necessary for appointment to the post of IT Assistant Grade- 'D' in the Department of Information Technology, Govt. of National Capital Territory of Delhi namely:

1. **Short title and commencement:**—(i) These Rules may be called the IT Assistant Grade 'D', Department of Information Technology, Govt. of NCT of Delhi, Recruitment Rules 2026.
(ii) These shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
 2. **Application:** These rules shall apply to the posts specified in Column No. 1 of the Schedule annexed to these rules.
 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix:** The number of said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in Column 2 to 4 of the schedule.
 4. **Method of recruitment, age limit, other qualification etc.:** The method of recruitment, age limit, qualification and other matters relating to the said post shall be as specified in Column No. 5 to 11 of the said schedule.
 5. **Disqualifications:** -No person
 - (a) Who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to any of the said posts.
- Provided that the Department of Information Technology may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.
6. **Power to relax:** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
 7. **Saving:** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Govt. of India from time to time, in this regard.

ANNEXURE-I

Recruitment Rules for the post of IT Assistant Grade 'D' in the Pay Scale of Rs. 35400-112400 Level- 6 of 7th CPC in the Govt. of NCT of Delhi

1.	Name of Post	IT Assistant Grade 'D'	
2.	Number of Post	35* (2026) *Subject to variation dependent on workload"	
		Name of Department	Sanctioned Strength
		Department of Trade & Taxes Deptt.	7
		Department of Training and Technical Education	5
		Revenue Department	3

		<table><tr><td>Transport Department</td><td>3</td></tr><tr><td>Central Jail</td><td>2</td></tr><tr><td>Dte. of Economics & Statistics</td><td>2</td></tr><tr><td>Department of Health & Family Welfare</td><td>2</td></tr><tr><td>Dte. of Employment</td><td>1</td></tr><tr><td>Finance Budget (GAD)</td><td>1</td></tr><tr><td>Education Department and Allied Offices</td><td>1</td></tr><tr><td>Food Supplies & Consumer Affairs</td><td>1</td></tr><tr><td>Chief Electoral Office Election</td><td>1</td></tr><tr><td>Principal Account Office</td><td>1</td></tr><tr><td>Public Work Department</td><td>1</td></tr><tr><td>Labour Department</td><td>1</td></tr><tr><td>DSSSB</td><td>1</td></tr><tr><td>Delhi Police</td><td>1</td></tr><tr><td>Power Department and Allied Offices</td><td>1</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>35</td></tr></table>	Transport Department	3	Central Jail	2	Dte. of Economics & Statistics	2	Department of Health & Family Welfare	2	Dte. of Employment	1	Finance Budget (GAD)	1	Education Department and Allied Offices	1	Food Supplies & Consumer Affairs	1	Chief Electoral Office Election	1	Principal Account Office	1	Public Work Department	1	Labour Department	1	DSSSB	1	Delhi Police	1	Power Department and Allied Offices	1	TOTAL	35
Transport Department	3																																	
Central Jail	2																																	
Dte. of Economics & Statistics	2																																	
Department of Health & Family Welfare	2																																	
Dte. of Employment	1																																	
Finance Budget (GAD)	1																																	
Education Department and Allied Offices	1																																	
Food Supplies & Consumer Affairs	1																																	
Chief Electoral Office Election	1																																	
Principal Account Office	1																																	
Public Work Department	1																																	
Labour Department	1																																	
DSSSB	1																																	
Delhi Police	1																																	
Power Department and Allied Offices	1																																	
TOTAL	35																																	
3.	Classification	General Central Service Group ‘B’ Non-Gazetted Non Ministerial																																
4.	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Level- 6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix																																
5.	Whether Selection Post or non-selection post	Selection																																
6.	Age limit for direct recruits	Not Applicable																																
7.	Educational and other qualifications required for direct recruits	Not Applicable																																
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Not Applicable																																
9.	Period of Probation, if any	Two Years																																
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or be promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	100% by Promotion.																																
11.	In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation /absorption to be made	Promotion: From IT Assistant Grade ‘B’ in Level 5 Rs. 29200-92300/- in the pay matrix with six years regular service in the grade. Note: Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.																																

12.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	<i>"Group 'B' Departmental Promotion Committee (DPC)/Departmental Confirmation Committee (DCC)</i> <i>1. Principal Secretary/Secretary TTE), Govt. of NCT of Delhi-Chairman.</i> <i>2. Administrative Secretary (IT) Department Concerned, Govt. of NCT of Delhi-Member.</i> <i>3. Special /Addl. Secretary (Health and Family Welfare), Govt. of NCT of Delhi-Member.</i> <i>Note: Senior most member of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee shall act as Chairperson in case the notified Chairperson of the Departmental Promotion Committee/Departmental Confirmation Committee happens to be junior to another member of the Departmental Promotion Committee."</i>
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment	<i>"Consultation with UPSC is not Necessary"</i>

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
ANAND KUMAR TIWARI, Special Secy. (IT)